न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जी, जाति-अरोडा,
   निवासी- सुभाष नगर गली नं. 6, बस स्टेण्ड के पास, शिवगंज, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
   फर्म: मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही
2. अमित सेठिया, दुकान नं. बी, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, संसारचन्द रोड, विंडसर प्लाजा के पास, जयपुर-302001 (खाद्यकारोबारकर्ता व सप्लायर)
   फर्म:- मिलन मार्केटिंग, दुकान नं. बी, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, विंडसर प्लाजा के पास, जयपुर-302001
3. भुवनेश व्यास पुत्र रामचन्द्र व्यास,धामानी चौक,राम मंदिर के पास,बीकानेर(नॉमिनी)
   फर्म:- सेठिया फूड्स, F-263A, 264, Bichhwal Industrial Area, Bikaner
4. सेठिया फूड्स, F-263A, 264, Bichhwal Industrial Area, Bikaner

प्रकरण संख्या: 20/2019

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 11 सितम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 31.7.2019 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2018 को समय 4.00 पी.एम. पर मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जी, जाति-अरोडा, निवासी- सुभाष नगर गली नं.6, बस स्टेण्ड के पास, शिवगंज, जिला- सिरोही है जो आम जनता को सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) के 25 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) जांच हेतु

.....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

भागों एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/- अदा कर खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म नं. 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं. 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-845 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूनें के चौथें भाग की जांच NABL ACCREDETED से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता संजय कुमार ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबू धागे से बांधा, उपर, नीचे, आजू, बाजू सील चपडी किया तथा फार्म नं. 6की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बंद कर गोंद से चिपकाई नमूनें के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.10.2018 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक सील बन्द लिफाफा मैंनें स्वयं ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जका कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 27.10.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग एवं फार्म नं.6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता संजय कुमार से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) का नमूना S-845 मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता फर्म को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन प्रतिवादी संजय कुमार व निर्माता फर्म ने पुनः जांच का

....पेज तीन पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (संजय कुमार) इस न्यायालय में दिनांक 11.9.2019 को उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 27.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड पाया गया, वह मैनें बिक्री हेतु बिल संख्या 5237 दिनांक 13.10.2018 के द्वारा मिलन मार्केटिंग, जयपुर से प्राप्त किया था। मैनें मेरी ओर से इसमें कुछ भी नही मिलाया था। पैकिंग अवस्था में सेम्पल लिया गया था, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। दिनांक 11.9.2019 के बाद प्रतिवादी संख्या-1 (संजय कुमार) इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 के अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि दिनांक 27.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज से सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) का एक सेम्पल एकत्रित किया था जो जांच रिपोर्ट में मानक स्तर का पाया गया, इसमें कोई भी मिलावट नही पाई गई। उक्त सेम्पल को खाद्य विश्लेषक द्वारा मिसब्राण्ड पाया गया। मिसब्राण्ड पाये जाने का कारण न तो पत्रावली में अंकित है व न ही खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में अंकित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.10.2018 को सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) का सेम्पल लेने के बाद प्रतिवादी संख्या-1 को फार्म संख्या-5ए दिया है उस फार्म संख्या- 5ए में खाद्य

....पेज चार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

कारोबारकर्ता एवं उक्त नमूने के उत्पादक व निर्माता का वर्णन नही किया है व न ही फार्म संख्या- 5ए की प्रति उत्पादक व निर्माता को भेजी है। उक्त नमूना लेने की कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह नही बनाया गया। केवल खानापूर्ति के लिये हस्ताक्षर ही कराये है उनका विस्तृत विवरण भी फार्म संख्या-5ए में अंकित नही है। उक्त सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सभी मानकों में सही उतरा एवं इसमें कोई अवमानक करण नही पाये गये, जबकि खाद्य विश्लेषक द्वारा बडे अंचधित तरीके से उक्त नमूना मिसब्राण्ड कर दिया गया एवं मिसब्राण्ड भी विनियम संख्या 2.2.1(3) एवं 2.2.2(5)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फूड पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगुलेशन, 2011 के तहत किया है जिसमें कि नमूनें में जो मिसब्राण्डिंग बताई गई है वह यह है कि एक तो नमूने के लेबल पर जो फलैवर अंकित है उसका नाम नही दिया गया जबकि नियमानुसार लेबल पर फलेवर का आयनस संख्या अंकित है एवं लेबल पर वेजिटेबल ऑयल जो कि लिस्ट ऑफ इनग्रिडियन्स अंकित है उसके डिसक्लोजिंग माना गया है जबकि उक्त खाद्य पदार्थ एक प्रोपराईटरी फूड है जिसका कोई स्टेण्डर्ड नियम व कानून में नही दिया गया है, इसलिये खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त नमूनें को मिसब्राण्ड करना मिसब्राण्ड की परिभाषा में परिभाषित नही है। धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार जो मिसब्राण्ड फूड की परिभाषा दे रखी है उस अनुसार मिसब्राण्ड होने का कारण पैकेज फूड और लेबल पर रुल्स रेगुलेशन पैकेजिंग एवं लेबलिंग रेगुलेशन, 2011 के अनुसार ना होने पर ही मिसब्राण्ड हो सकता है यानि कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व एफ.एस.एस. पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगुलेशन, 2011 में ही फूड की पैकेजिंग एवं लेबलिंग कैसी होनी चाहिये, उसमें क्या-क्या विवरण होना चाहिये यह सब अंकित है और अगर वो सब उस फार्मेट में ना होकर वो विवरण रेगुलेशन अनुसार ना होकर पाया जाता है तभी फूड मिसब्राण्ड कहलाता है, जबकि फूड एनेलेसिस द्वारा उक्त नमूनें को फूड सेफटी एण्ड स्टेण्डर्ड (पैकजिंग एवं लेबलिंग) रेगुलेशन, 2011 के अनुसार मिसब्राण्ड किया गया है। नमूना किसी भी तरह से मिसब्राण्ड की श्रेणी में नही आता एवं खाद्य विश्लेषक द्वारा किया गया। उक्त नमूना किसी भी तरह से मिसब्राण्ड नही है एवं फूड सेफटी एक्ट की धारा 23 अनुसार भी नमूना मिसब्राण्ड नही है। अभिहित अधिकारी ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये उक्त केस को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है जिससे न्यायालय का समय एवं हर्जा खर्चा लगा है। अभिहित अधिकारी द्वारा धारा 32 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की पालना नही की गई है जिसमें की अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त मिसब्राण्डिंग पर सुधार नोटिस देकर भी उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता था। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दिनांक 17.7.2018 को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें भी उक्त किस्म के प्रकरण को जो कि माईनर लेबलिंग डिफेक्ट की श्रेणी में आते है का निस्तारण धारा 32 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 द्वारा किया जाना बताया गया है। उक्त नमूने का विश्लेषण जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा किया गया है जो एस.एस.एस.ए.आई. द्वारा नोटिफाई लेब की सूची में नही आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेस्ले इण्डिया बनाम स्टेट में भी यह प्रतिपादित सिद्धान्त बताया गया है जो कि लेब सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा

....पेज पांच पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

नोटिफाई नही है और जो लेब सेक्शन 3(पी) ऑफ फूड सेफटी एक्ट के अर्न्तगत नही आती उन लेबों को खाद्य जांच की कोई अनुमति नही है। उक्त नमूने के लेबल पर जो मिसब्राण्डिंग बताई गई थी वो भी ठीक कर ली गई है। अब उक्त नमूने में किसी भी तरह की कोई मिसब्राण्डिंग नही है एवं नमूना फूड सेफटी एक्ट नियम एवं नियमन अनुसार ही बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 27.10.2018 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जी, जाति- अरोडा, निवासी- सुभाषनगर गली नं. 6, बस स्टेण्ड के पास, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय के लिये रखे हुए खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) के अमानक स्तर का होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विजयसिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी- आकरिया चौक, एन्दला गुडा व श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता संजय कुमार खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ सोन पपडी(उत्तम ब्राण्ड) के 25 पैक्ड पैकैट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सोन पपडी(उत्तम ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) को उक्त गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता संजय कुमार से नमूना जांच हेतु क्रय किये व उसकी कीमत राशि रुपये 480/- (अक्षरे रुपये चार सौ अस्सी मात्र) विक्रेता को अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता संजय कुमार व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-845, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त विक्रेता संजय कुमार व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागंज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य

.....पेज छः पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-845 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना पैकेट पर विक्रेता संजय कुमार व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों पैकेटों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता संजय कुमार व गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही में विक्रेता संजय कुमार पुत्र मदनलाल जी अरोडा से खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक पैकेटो को साथ लेकर कार्यालय पॅंहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 29.10.2018 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 27.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-845 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./792/Act/2018/811 दिनांक 22.11.2018 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही में विक्रेता संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जी अरोडा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पापडी (उत्तम ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) and 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.11.2018 में यह अंकित किया गया है कि Flavour given on the label of sample but the class name/type of flavor used in the product not mentioned on the lable of sample and edible vegetable oil (palm/cottonseed) mentioned in the list of ingredients is misleading. Contravention of Regulation No. 2.2.1(3) and 2.2.2(5)(ii) of Food Safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

.....लगातार पेज सात

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018-19/518-21 दिनांक 17.1.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (संजय कुमार) व निर्माता फर्म सेठिया फूड्स को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संजय कुमार की फर्म मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, शिवगंज ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) को जरिये बिल/टेक्स इनवोईस नंबर 5237 दिनांक 13.10.2018 के द्वारा पैक्ड अवस्था में क्रय किया गया एवं नमूना जांच हेतु पैक्ड अवस्था में ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को विक्रय किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) की उत्पादक/निर्माता फर्म सेठिया फूड्स, F-263A, 264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म सेठिया फूड्स, F-263A, 264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत खाद्य पदार्थ सोन पपडी (उत्तम ब्राण्ड) की उत्पादक/निर्माता फर्म सेठिया फूड्स, F-263A, 264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म सेठिया फूड्स, F-263A, 264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर के नॉमिनी भुवनेश व्यास पुत्र रामचन्द्र जी व्यास, निवासी- धामानी चौक, रामदेव मंदिर के पास, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म सेठिया फूड्स, F-263A, 264, बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested